P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-5* January- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का क्रियान्वयन
(राजस्थान प्रदेश में खरीफ फसल 2016 के विशेष संदर्भ में)

एस.सी.गुप्ता
सीनियर रिसर्च फैलो,
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR),
नई दिल्ली

सारांश

माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में मकर संक्रान्ति के त्यौहार पर भारतीय किसानों को प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना उपहार के रूप में घोषित की। यह योजना देश में पूर्व में चल रही समस्त फसल बीमा योजनाओं पर एक सुधार है। यह योजना राजस्थान प्रदेश में राजस्थान कृषि (ग्रुप–1) विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिनांक 23.07.2016 से खरीफ फसल 2016 से 33 जिलों में लागू की गयी। प्रदेश में खरीफ फसल 2016 में ऋणी, गैर ऋणी व बटाईदार 61.71 लाख कृषकों ने 74.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अधिसूचित फसलों का बीमा 9999.98 करोड़ रूपये का करवाया और इनमें से 31.02 प्रतिशत कृषकों ने फसल खराब होने पर दोनों बीमा कम्पनियों से दावे के रूप में 1110 करोड़ रूपये प्राप्त किये। दोनों बीमा कम्पनियों ने 52 बैंकों को 8.92 करोड़ रूपये बैंक सर्विस चार्जेज के रूप में दिये।

मुख्य शब्द : प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY), राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.एण्ड ए.जी.), अधिसूचित क्षेत्र (Notified Area), अधिसूचित फसल (Notified Crops), ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक (Loaness & Non-Loaness Farmers), पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा (RWBCIS), यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (यू.आई.आई.सी.), एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड (ए.आई.सी.)।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था मूलरूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है अभी तक यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी कृषि व इससे सम्बन्धित व्यवसाय : वन सम्पदा, पशु सम्पदा, मछली सम्पदा इत्यादि पर रोजगार की दृष्टि से निर्भर है। देश के किसान बहुत गरीब व अशिक्षित है तथा प्रशिक्षण युक्त नहीं है और ये ग्रामीणों क्षेत्रों में निवास करते है। ये अपनी अल्पकालीन व मध्यमकालीन वित्तीय आवश्यकतायें साहुकारों व देशी बैंकर्स से पूरा करते है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग ढाँचा स्थापित किया जा चुका है। भारतीय किसानों को खेती करने सम्बन्धी पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर : सिंचाई के साधन, बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाईयाँ, ट्रैक्टर, भण्डारण व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। भारतीय कृषि प्रारम्भ से ही मानसून का जुआ कहलाती है। कृषि फसलों का उत्पादन पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है। इससे भारतीय कृषकों का भविष्य निश्चित होता है। प्रारम्भ से ही भारतीय कृषि ऊपजें प्राकृतिक विपत्ताओं : सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधी, भूस्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, औलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, हरीकेन इत्यादि का शिकार रही है जिनसे भारतीय कृषकों को काफी हानि उठानी पड़ती है, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। इन प्राकृतिक विपत्ताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1985 से समय–समय पर देश में फसल बीमा योजनाऐं चलाई हैं :

1. विस्तृत फसल बीमा योजना, 1985
   (Comprehensive Crop Insurance Scheme,1985)

2. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 1999 (National Agricultural Insurance Scheme,1999)
3. मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना, 2007 (Weather Based Crop Insurance Scheme, 2007)
4. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, 2010 (Modified National Agricultural Insurance Scheme 2010)

उपरोक्त फसल बीमा योजनाओं में कई प्रकार की खामियाँ थी जैसे : प्रीमियम दरों का अधिकतम होना, फसल बीमा सभी प्रकार के किसानों के लिए अनिवार्य होना, समस्त कृषि क्षेत्रों को सम्मिलित न करना, स्थानीय प्राकृतिक विपत्ताओं में जलप्लावन को सम्मिलित न करना, फसल पकने व काटने के बाद की हानि की क्षतिपूर्ति न करना इत्यादि। देश के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) के अनुसार वर्ष 2011 से 2016 के बीच फसल बीमा योजनाओं को लचर तरीके से लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार को प्रीमियम सब्सिडी और दावे के भुगतान के लिए 32,607 करोड़ रूपये जारी किये गये। यह राशि सरकार के स्वामित्व वाली एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से 10 निजी बीमा कम्पनियों को मिली। इसके उपयोग में किसी भी गाईडलाइन का प्रयोग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ने यह राशि देने से पहले कोई पड़ताल नहीं की। इस सम्बन्ध में समय–समय पर यह भी सामने आया है कि राज्य सरकारों ने अपनी प्रीमियम सहायता समय पर जारी नहीं की, जिससे बीमित किसानों को दावे का भुगतान प्राप्त होने में देरी हुई।

उपरोक्त सभी कमियों को दूर करते हुए माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार 13 जनवरी 2016 को एक नई फसल बीमा योजना ''प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना''(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PMFBY) घोषित की। माननीय प्रधानमन्त्री जी के द्वारा यह योजना मकर संक्रान्ति के अवसर पर भारतीय किसानों को एक उपहार के रूप में घोषित की गयी, यह योजना देश के समस्त भागों–उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक लागू है। माननीय प्रधानमन्त्री जी के द्वारा यह योजना उस समय लागू की गयी जब देश के अलग–अलग भागों में मकर संक्रान्ति का त्यौहार अलग–अलग रूपों में मनाया जा रहा था जैसे दक्षिण में पौंगल, उत्तर में लौहरी व असम में विहु इत्यादि। प्रारम्भ में इस योजना के क्रियान्वयन पर सम्पूर्ण देश में 17,600 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान रखा गया।

यह योजना गत फसल बीमा योजनाओं पर एक सुधार है। इस योजना को लागू करते समय यह बात ध्यान में रखी गयी थी कि भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों किसान प्राकृतिक विपत्ताओं से फसल खराब होने व गरीबी के कारण आत्महत्या करते हैं। यह योजना सम्पूर्ण देश में जून 2016 में खरीफ फसल 2016 से प्रारम्भ की गयी है। देश में सबसे पहले यह योजना मध्यप्रदेश में लागू की गयी, इसके बाद राजस्थान प्रदेश में। इस योजना में किसानों के दावों के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं शीघ्र बनाया जावेगा। इस योजना का क्रियान्वयन देश के प्रत्येक राज्य में सम्बन्धित राज्य सरकार के द्वारा किया जावेगा और कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का प्रशासनिक नियन्त्रण होगा।

इस योजना में किसान खरीफ फसलों के लिए समरूप 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करेंगे। वार्षिक उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा वहन किया जावेगा। किसानों के द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम दर काफी कम होगी और शेष प्रीमियम केन्द्र व राज्य सरकार 50–50 प्रतिशत के अनुपात में भुगतान करेंगी जिससे किसानों को प्राकृतिक विपत्ताओं से हुये नुकसान के दावे की बीमित राशि प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा प्रीमियम अनुदान सहायता के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। एक किसान अधिकतम 7 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिसूचित फसलों के लिए बीमा करवा सकता है उससे अधिक भूमि पर फसल बीमा कृषक द्वारा सम्पूर्ण प्रीमियम राशि देने पर ही किया जावेगा। इस पर राज्य व केन्द्र से कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं होगी। इस योजना में किसान पूर्ण बीमित राशि के विरूद्ध दावे का भुगतान बिना किसी कटौती के उठा सकता है, इससे पूर्व फसल बीमा योजनाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस योजना में फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गयी फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं असामयिक वर्षा से होने वाली कटाई के बाद 14 दिन के भीतर नुकसान के लिए 48 घण्टे के अन्दर किसान कॉल सेन्टर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा कर दावे का भुगतान प्राप्त करना होगा। इस योजना में सरकार बीमित किसानों के स्तर पर कृषि खेतों में स्थानीय प्राकृतिक विपत्ताओं : औलावृष्टि, भू–स्खलन व जल प्लावन इत्यादि से होने वाली क्षति का अवलोकन करेंगी। इस योजना में आधुनिक तकनीकों – स्मार्ट फोन, रिमोट इत्यादि का प्रयोग बढ़ाया जावेगा। वर्ष 2016–17 के बजट में इस योजना पर 5,550 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (AIC) के द्वारा पूरी तरह नियन्त्रित होगी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) पर एक सुधार और सेवा कर मुक्त है। इस योजना का उद्देश्य आगामी 2–3 वर्षों में देश के 50 प्रतिशत किसानों को इस योजना में लाना है।

इस योजना में युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों

से होने वाली क्षति योजना के तहत बीमा कवर में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

इस योजना के तहत दावों के भुगतान का निर्धारण करते समय अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों की शर्तें लागू होगी। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा सूखा, बाढ़ व अकाल घोषित होने पर दावे का भुगतान नहीं किया जावेगा।

कृषकों को ऋण प्रस्ताव देने की अवधि, ऋणी एवं अऋणी व बटाईदार कृषकों को बीमा प्रस्ताव देने की अवधि व बैंकों/बीमा कम्पनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों से सम्बन्धित बीमा कम्पनी को संकलित प्रस्ताव भेजने की अन्तिम तिथि तय होगी।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत लेख में राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन का अध्ययन खरीफ फसल 2016 के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान प्रदेश में खरीफ फसल 2016 में कुल 33 जिलों में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलें : बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चौला, उड़द, सोयाबीन, तिल, धान, कपास व मूंगफली इत्यादि व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के तहत अधिसूचित फसलें : अमरुद, किन्नू, सन्तरा, अनार, प्याज व अरण्डी उगायी गयी। ऋणी, गैर ऋणी व बटाईदार कृषकों के द्वारा अपने–अपने जिलों में सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सम्बन्धित बीमा कम्पनी से फसल बीमा करवाया गया, इनमें से जिन कृषकों की फसल को क्षति हुई उन्होंने अपने बैंक के माध्यम से बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति का दावा किया और दावे का भुगतान प्राप्त किया। बीमा कम्पनियों के द्वारा सभी किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति के दावों का भुगतान करने के बाद, बीमा कम्पनियों ने सम्बन्धित बैंकों को किसानों की प्रीमियम हिस्से का 4 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान कर दिया है।

साहित्यावलोकन (Review of Literature)

यद्यपि वरिष्ठ प्राध्यापकों के द्वारा लिखित भारतीय अर्थव्यवस्था व कृषि क्षेत्र पर राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सभी पहलुओं को मध्य नजर रखते हुए काफी पुस्तकें, प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इन विषयों पर शोधार्थियों के द्वारा शोध कार्य भी किये जा चुके हैं व शोध पत्र भी विभिन्न कॉफ्रेन्सस व सेमिनार्स में पढ़े जा चुके हैं लेकिन इन सब में कृषि क्षेत्र के परम्परागत विषयों पर ही प्रकाश डाला गया है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का उद्भव एवं विकास, महत्व, पंचवर्षीय योजनाकाल में विकास, कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण और उनके उपाय, कृषि क्षेत्र की समस्यायें व समाधान इत्यादि।

प्रोफेसर ए.एन. अग्रवाल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था (नियोजन एवं विकास की समस्यायें) जो वर्ष 2017 में वायले ईस्टर्न लिमिटेड, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं : कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य, यातायात के साधन, विदेशी व्यापार व निर्यात सम्बर्द्धन इत्यादि के विकास, महत्व, समस्यायें व समाधान पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है।

प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण नाथूरामका ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो वर्ष 2017 में मैसर्स कॉलेज बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर से प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के पहलुओं : राजस्थान की अर्थव्यवस्था : एक परिचय, कृषि उपजें, खनिज सम्पदा, शक्ति के साधन, जनसंख्या, विदेशी व्यापार एवं निर्यात सम्बर्द्धन, यातायात के साधन इत्यादि पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है।

प्रोफेसर बी.एल. ओझा ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो वर्ष 2017 में अजमेरा बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर से प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य, विदेशी व्यापार की समस्यायें व समाधान पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है।

इसी प्रकार अनेक वरिष्ठ प्राध्यापकों के द्वारा लिखित भारत का भूगोल व राजस्थान का भूगोल विषयों पर राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर इनके सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए काफी पुस्तकें प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इन विषयों पर शोधार्थियों के द्वारा शोध कार्य भी किये जा चुके हैं व शोध पत्र भी विभिन्न कांफ्रेन्सस व सेमिनार्स में पढ़े जा चुके हैं लेकिन इन सब में कृषि क्षेत्र के परम्परागत विषयों पर ही प्रकाश डाला गया है आधुनिक विषयों/शीर्षकों पर नहीं।

लेखक श्री गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक ''राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास'' जो वर्ष 2012 में राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर से प्रकाशित हुई है में लेखक ने राजस्थान में कृषितन्त्र को बखूबी, प्रस्तुत किया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश में कृषि के विकास के लिए अच्छे सुझाव भी दिये हैं।

लेखक डॉ. एल.आर. भल्ला ने अपनी पुस्तक ''राजस्थान का भूगोल'' जो वर्ष 2015 में कुलदीप पब्लिकेशन्स, अजमेर से प्रकाशित हुई, में लेखक ने राजस्थान में कृषि विकास पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है और साथ ही यह बताया है कि राज्य सरकार को इस दिशा में क्या प्रयत्न करने की आवश्यकता है?

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों एवम् शोधकर्ताओं के द्वारा भारत व राजस्थान में कृषि विकास के अलग–अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है लेकिन अभी तक किसी ने भी कृषि क्षेत्र में विभिन्न कारणों से कृषकों की, जो फसलें नष्ट हो जाती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इस बारे में नहीं सोचा

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-5* January- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

व नहीं लिखा है यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व में भारत सरकार के द्वारा कुछ कृषि बीमा योजनाऐं चलाई गयी थी, जो पूरी तरह सफल नहीं हुई। इस सभी बातों पर विचार करके माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को घोषित की है, जो बहुत अच्छी योजना हे, इसे खरीफ फसल 2016 से राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया है और शोधार्थी द्वारा अपना शोध पत्र तैयार करने के लिए यह विषय चुना गया है।

राजस्थान में खरीफ फसल 2016 का क्रियान्वयन

फसल बीमा, बीमा दावा भुगतान व बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान पूरा हो चुका है। राजस्थान में खरीफ फसल 2016 का क्रियान्वयन निम्नलिखित दो बीमा कम्पनियों के द्वारा सम्पन्न किया गया है :

(अ) यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू)

(ब) एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, न्यू देहली

(अ) यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी (यू.आई.आई.सी.) लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू) के द्वारा खरीफ फसल 2016 का क्रियान्वयन : फसल बीमा, बीमा दावा भुगतान व बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान निम्नलिखित 21 जिलों में राज्य में सम्पन्न किया गया है :

1. अजमेर
2. बांसवाड़ा
3. बाड़मेर
4. भीलवाड़ा
5. बूंदी
6. चुरु
7. धौलपुर
8. श्रीगंगानगर
9. हनुमानगढ़
10. जैसलमेर
11. जालौर
12. झालावाड़
13. झुंझुनूं
14. करौली
15. कोटा
16. नागौर
17. राजसमन्द
18. सवाई माधोपुर
19. सीकर
20. सिरोही, तथा
21. उदयपुर

(ब) एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड (ए.आई.सी.) न्यू देहली के द्वारा खरीफ फसल 2016 का क्रियान्वयन : फसल बीमा, बीमा दावा भुगतान व बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान राज्य के निम्नलिखित 12 जिलों में सम्पन्न किया गया है :

1. अलवर
2. बारां
3. भरतपुर
4. बीकानेर
5. चित्तौड़गढ़
6. दौसा
7. डूंगरपुर
8. जयपुर
9. जोधपुर
10. पाली
11. प्रतापगढ़
12. टौंक

उपरोक्त दोनों बीमा कम्पनियों के द्वारा राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में 33 जिलों में अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी एवं गैर ऋणी कुल 61. 71 लाख कृषकों का फसल बीमा 74.47 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए किया गया, जिसकी बीमित राशि 9999.98 रुपये थी। खरीफ फसल 2016 में कृषि उपजों के बीमा के एवज में दोनों बीमा कम्पनियों को प्रदेश के 33 जिलों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 222.92 करोड़ रुपये, राज्य सरकार ने अनुदान हिस्से के रूप में 877.99 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार ने अनुदान के रूप में 877.99 करोड़ रूपये चुकाये। इस प्रकार दोनों बीमा कम्पनियों को कुल प्रीमियम राशि 1978.90 करोड़ रूपये पहुँची, जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है :

तालिका 1

राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल 2016 में जिलेवार बीमा का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	कृषकों की संख्या (लाख में)	क्षेत्र हैक्टयेर (लाख में)	बीमित राशि (करोड़ रू. में)	कृषकों का प्रीमियम हिस्सा (करोड़ रू. में)	राज्य का प्रीमियम अनुदान (करोड़ रू. में)	केन्द्र का प्रीमियम अनुदान (करोड़ रू. में)	कुल प्रीमियम (करोड़ रू. में)
1.	अजमेर	2.59	1.99	218.07	5.26	27.20	27.20	59.66
2.	अलवर	2.68	1.90	425.55	9.07	12.39	12.39	33.85
3.	बांसवाड़ा	1.22	1.10	153.91	3.27	8.68	8.68	20.63
4.	बारां	0.72	1.45	298.77	5.98	28.91	28.91	63.08
5.	बाड़मेर	5.50	10.05	547.19	11.64	131.92	131.92	275.48
6.	भरतपुर	1.24	1.03	201.34	4.04	3.65	3.65	11.34
7.	भीलवाड़ा	2.63	2.09	304.21	7.43	25.36	25.36	58.15
8.	बीकानेर	1.58	4.12	519.59	10.40	37.69	37.69	85.78

9.	बूंदी	1.07	1.39	261.24	5.33	12.37	12.37	30.07
10.	चित्तौड़गढ़	1.54	1.34	279.56	5.92	11.16	11.16	28.24
11.	चुरू	3.35	4.33	407.22	8.25	40.36	40.36	88.97
12.	दौसा	1.26	0.98	191.90	3.83	3.75	3.75	11.33
13.	धौलपुर	0.10	0.15	37.49	0.76	2.99	2.99	6.74
14.	डूंगरपुर	0.62	0.76	79.43	1.62	7.35	7.35	16.32
15.	हनुमानगढ़	1.97	2.87	639.93	19.21	53.21	53.21	125.63
16.	जयपुर	3.94	3.43	578.90	11.49	28.64	28.64	68.77
17.	जैसलमेर	1.34	4.52	235.71	5.70	56.14	56.14	117.98
18.	जालौर	2.84	3.03	396.87	8.41	59.73	59.73	127.87
19.	झालावाड़	1.70	2.40	446.21	9.33	23.95	23.95	57.23
20.	झुंझुनूं	1.36	1.17	184.93	3.73	11.57	11.57	26.87
21.	जोधपुर	4.88	5.44	611.37	13.93	77.04	77.04	168.01
22.	करौली	0.40	0.46	106.40	2.22	11.58	11.58	25.38
23.	कोटा	0.92	1.55	278.19	5.82	13.63	13.63	33.08
24.	नागौर	3.72	5.20	723.65	16.53	71.92	71.92	160.37
25.	पाली	2.60	2.12	237.77	4.95	27.18	27.18	59.31
26.	प्रतापगढ़	0.64	0.64	123.58	2.49	3.14	3.14	8.77
27.	राजसमन्द	0.30	0.23	38.81	0.96	2.42	2.42	5.80
28.	सवाईमाधोपुर	0.90	0.94	169.79	3.44	5.32	5.32	14.08
29.	सीकर	3.16	2.30	369.26	7.46	25.59	25.59	58.64
30.	सिरोही	0.38	0.33	50.13	1.07	7.90	7.90	16.87
31.	श्रीगंगानगर	1.65	2.48	536.41	16.33	15.88	15.88	48.09
32.	टोंक	2.38	1.95	247.65	4.95	24.08	24.08	53.11
33.	उदयपुर	0.53	0.63	98.95	2.10	5.29	5.29	12.68
कुल योग		**61.71**	**74.47**	**9999.98**	**222.92**	**877.99**	**877.99**	**1978.90**

स्त्रोतः 1. कृषि मंत्रालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू)
3. एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, न्यू देहली

तालिका 1 का अवलोकन करने से पता लगता है कि प्रदेश में बाड़मेर जिले में सबसे अधिक 5.5 लाख किसानों ने खरीफ फसल 2016 में विभिन्न कृषि उपजों का बीमा करवाया है। इसी जिले में प्रदेश में सबसे अधिक बीमित क्षेत्र 10.05 हैक्टेयर रहा है और बीमा कम्पनी को सबसे अधिक कुल प्रीमियम 275.48 करोड़ रुपये पहुँची है। प्रदेश में बाड़मेर जिले के बाद कृषकों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर, जयपुर, नागौर, चुरु इत्यादि का स्थान आता है। प्रदेश में धौलपुर जिले में सबसे कम सिर्फ 10,000 कृषकों के द्वारा अपनी फसलों का बीमा खरीफ फसल 2016 में करवाया गया है। बीमित हैक्टेयर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में बाड़मेर के बाद जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, जयपुर, चुरु इत्यादि का स्थान आता है। राजस्थान प्रदेश में सबसे कम बीमित हैक्टेयर क्षेत्र धौलपुर का रहा है। प्रदेश में खरीफ फसल बीमा 2016 में बीमित राशि की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान नागौर जिले का आता है। इसके बाद हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर का स्थान क्रमशः आता है। राजस्थान प्रदेश में सबसे अधिक कुल प्रीमियत राशि 275.48 करोड़ रुपये बीमा कम्पनी को पहुँची है व सबसे कम कुल प्रीमियम राशि राजसमन्द जिले से 5.8 करोड़ रुपये पहुँची है। इस अवलोकन से पता लगता है कि प्रदेश के कृषकों में कृषि फसलों के बीमे की ओर जागरूकता है।

राजस्थान प्रदेश में खरीफ फसल 2016 में बीमित 61.71 करोड़ कृषकों में से 0.19 करोड़ कृषकों ने दोनों बीमा कम्पनियों को उनकी फसलें नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किये। दावेदार कृषक कुल बीमित कृषकों के 31.02 प्रतिशत है जिनकी फसलें 4 श्रेणियों में से किसी भी स्तर पर नष्ट हुई है : (i) बुवाई के समय (असफल बुवाई) (ii) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) (iii) फसल कटाई के बाद, खेत में पड़ी फसल तथा (iv) प्राकृतिक विपत्ताओं से क्षति। ऋणी एवं गैर ऋणी बीमित कृषकों को 1110 करोड़ रूपये के कुल क्षतिपूर्ति बीमा दावे दोनों बीमा कम्पनियों के द्वारा स्वीकार किये गये जो प्रदेश में खरीफ फसल 2016 में दोनों बीमा कम्पनियों के द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का लगभग 56 प्रतिशत हैं। जैसाकि तालिका 2 में प्रदर्शित किया गया है –

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-5* January- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका 2

राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड चैन्नई (तमिलनाडू) व एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति दावे

क्र.सं.	जिला	बीमित कृषकों की संख्या (लाख में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या	कुल प्रीमियम (राशि करोड़ रूपये में)	कुल दावे भुगतान (राशि लाख रूपये में)
1.	अजमेर	2.59	57,750	59.66	2014
2.	अलवर	2.68	43,982	33.85	1026
3.	बांसवाड़ा	1.22	30,593	20.63	741
4.	बारां	0.72	29,000	63.08	3218
5.	बाड़मेर	5.50	4,50,616	275.48	31,087
6.	भरतपुर	1.24	30,320	11.34	1,432
7.	भीलवाड़ा	2,68	1,00,560	58.15	4,091
8.	बीकानेर	1.58	34,570	85.78	4,377
9.	बूंदी	1.07	14,313	30.07	1,058
10.	चित्तौड़गढ़	1.54	97,256	28.24	8,261
11.	चुरू	3.35	43,094	88.97	1,202
12.	दौसा	1.26	32,268	11.33	1,298
13.	धौलपुर	0.10	1,231	6.74	56
14.	डूंगरपुर	0.62	14,567	16.32	568
15.	हनुमानगढ़	1.92	10,026	125.63	1,150
16.	जयपुर	3.94	59,219	68.77	1,749
17.	जैसलमेर	1.34	1,05,227	117.98	8,205
18.	जालौर	2.84	1,43,111	127.87	10,475
19.	झालावाड़	1.70	34,799	57.23	1,716
20.	झुंझुनूं	1.36	20,991	26.87	653
21.	जोधपुर	4.88	1,70,103	168.01	6,138
22.	करौली	0.40	5,595	25.38	158
23.	कोटा	0.92	28,210	33.08	1,940
24.	नागौर	3.72	1,00,975	160.37	5,423
25.	पाली	2.60	1,03,859	59.31	7,642
26.	प्रतापगढ़	0.64	18,259	8.77	641
27.	राजसमन्द	0.30	12,321	5.80	524
28.	सवाईमाधोपुर	0.90	7,151	14.08	167
29.	सीकर	3.16	35,503	58.64	656
30.	सिरोही	0.38	13,247	16.87	435
31.	श्रीगंगानगर	1.65	11,877	48.09	1,161
32.	टोंक	2.38	43,599	53.11	1,022
33.	उदयपुर	0.53	10,379	12.68	685
योग		**61.71 (लाख में) 0.62(करोड़ में)**	**19,14,571 0.19(करोड़ में)**	**1,978.90 (करोड़ रूपये में)**	**1,10,969 (लाख रू. में) 1110.0(करोड़ रू. में)**
राजस्थान में लाभान्वित कृषकों का बीमित कृषकों से प्रतिशत		–	**31.02**	–	–
राजस्थान में कुल दावा भुगतान का दोनों बीमा कम्पनियों द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियत राशि से प्रतिशत		–	–	–	**56.08**

स्त्रोतः 1. कृषि मंत्रालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू)
3. एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, न्यू देहली

तालिका 2 का विश्लेषण करने से पता लगता है कि राजस्थान प्रदेश में सभी 33 जिलों में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में 61.71 लाख कृषकों ने यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड चैन्नई (तमिलनाडू) व एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली से अपनी अधिसूचित फसलों (Notified Crops) का बीमा करवाया है जिनमें से 31.02 प्रतिशत बीमित कृषकों को उनकी फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में इन दोनों बीमा कम्पनियों से दावे का भुगतान प्राप्त हुआ है। राजस्थान प्रदेश में सबसे अधिक दावे का भुगतान बाड़मेर जिले के बीमित कृषकों को मिला है। इसके बाद झुंझुनूं, जोधपुर, जयपुर, पाली व नागौर का स्थान आता है। प्रदेश में सबसे कम दावे का भुगतान धौलपुर जिले के कृषकों को मिला है। इन दोनों बीमा कम्पनियों को प्रदेश में कुल 1978.90 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ है जिसमें कृषकों का हिस्सा, राज्य का हिस्सा व केन्द्र का हिस्सा सम्मिलित है जबकि इसमें से 19,14,571 लाभान्वित कृषकों को दावे के भुगतान के रूप में 1110 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं जो कुल प्रीमियम जमा का लगभग 56 प्रतिशत है। इस प्रकार इन दोनों बीमा कम्पनियों को प्रदेश में कुल प्राप्त प्रीमियम का लगभग 44 प्रतिशत लाभ के रूप में बचा है। इस प्रकार वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में कृषि बीमा कम्पनियाँ काफी लाभ कमा रही है इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह दिशा–निर्देश दिये हैं कि वे अपनी स्वयं की कृषि उपज बीमा कम्पनियाँ स्थापित करें, इससे दोहरे लाभ प्राप्त होंग। एक ओर राज्य सरकार के आगम (Revenues) बढ़ेंगे तथा दूसरी ओर कृषकों के हितों की अधिक रक्षा होगी।

(A) यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू) व (B) एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, दोनों बीमा कम्पनियों ने राजस्थान राज्य में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। दोनों बीमा कम्पनियों ने लाभान्वित कृषकों को फसल बीमा दावों का भुगतान कर दिया है, बाद में दोनों बीमा कम्पनियों ने सम्बन्धित बैंकों को राजस्थान सरकार, कृषि (ग्रुप–1) विभाग, अधिसूचना संख्या P.1(3) कृषि–1/MC/2016 जयपुर दिनांक 23.07-2016 की मद संख्या 16 के अनुसार 4 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेज कृषकों की प्रीमियम राशि पर भुगतान कर दिया है। इस सम्बन्ध में दोनों बीमा कम्पनियों ने राजस्थान राज्य में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में निम्नलिखित 52 बैंकों की सेवाएँ प्राप्त की है :

1. इलाहाबाद बैंक
2. अलवर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर
3. आंध्रा बैंक
4. ऐक्सिस बैंक
5. बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक, बालोतरा
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. बैंक ऑफ इण्डिया
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
9. बांसवाड़ा सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांसवाड़ा
10. बारां सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बारां
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12. भारतीय महिला बैंक
13. भूमि विकास बैंक लिमिटेड
14. भरतपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड
15. बीकानेर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर
16. कनारा बैंक
17. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
18. चित्तौड़गढ़ सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़
19. सहकारिता बैंक
20. दौसा सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, दौसा
21. देना बैंक
22. धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर
23. डूंगरपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि., डूंगरपुर
24. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड
25. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड
26. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड
27. इन्डियन बैंक
28. इन्डियन ओवरसीज बैंक
29. इन्डसन्ड बैंक
30. जयपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर
31. झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, झालावाड़
32. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, झुंझुनूं
33. जोधपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोधपुर
34. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
35. पाली सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली
36. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
37. पंजाब नेशनल बैंक
38. आर.बी.एल. बैंक
39. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक
40. राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर
41. सहकारी भूमि विकास बैंक
42. भारतीय स्टेट बैंक
43. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
44. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
45. सिण्डीकेट बैंक
46. दी रत्नाकर बैंक लिमिटेड
47. टौंक सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, टौंक
48. यूको बैंक
49. उदयपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदयपुर
50. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
51. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
52. विजया बैंक

दोनों बीमा कम्पनियों ने लगभग सभी बैंकों की इस सम्बन्ध में सेवायें प्राप्त की है। इन बीमा कम्पनियों ने राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में बीमित कृषकों से 222.92 करोड़ रूपये प्राप्त किये हैं जिन पर 4 प्रतिशत

की दर से उपरोक्त 52 बैंकों को बैंक सर्विस चार्जेज के रूप में 8.92 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कारपोरेशन कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू) ने राजस्थान प्रदेश में प्रधानमंत्री ुसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में बीमित कृषकों से उनकी अधिसूचित फसलों के बीमा के प्रीमियम (कृषकों का हिस्सा) के रूप में 21 जिलों में 143.74 करोड़ रूपये प्राप्त किये और 39 बैंकों को इसका 4 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेज के रूप में 5.18 करोड़ रूपये का भुगतान किया, जैसा कि तालिका 3 में प्रदर्शित हैः

तालिका 3
यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू)
प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY)खरीफ फसल 2016
राजस्थान प्रदेश में विभिन्न बैंकों को बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान

(रकम रूपयों में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम हिस्सा	बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान
1.	इलाहाबाद बैंक	46,96,757.19	1,87,872.00
2.	आन्ध्रा बैंक	2,33,549.14	9,342.00
3.	ऐक्सिस बैंक	20,86,490.00	83,460.00
4.	बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक, बालोतरा	1,94,121.00	7,765.00
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	11,18,90,822.86	30,75,636.00
6.	बैंक ऑफ इन्डिया	1,49,39,467.49	5,97,578.00
7.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	12,31,807.39	49,273.00
8.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15,35,75,542.60	31,43,021.00
9.	भारतीय महिला बैंक	1,48,555.00	5,943.00
10.	भूमि विकास बैंक लिमिटेड	2,67,168.00	10,688.00
11.	कनारा बैंक	56,89,770.11	2,27,594.00
12.	सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक	4,97,59,920.00	15,90,397.00
13.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3,78,74,265.82	11,14,969.00
14.	सहकारिता बैंक	90,46,869.83	3,61,875.00
15.	देना बैंक	25,80,482.91	1,03,218.00
16.	धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर	4,411.00	176.00
17.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड	5,02,18,383.00	16,12,735.00
18.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड	5,42,91,348.53	21,71,654.00
19.	आई.डी.बी.आई. बैंक	74,89,435.77	2,99,577.00
20.	इण्डियन बैंक	3,26,769.08	13,070.00
21.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	16,16,272.51	64,652.00
22.	इन्डसन्ड बैंक	1,20,173.74	4,807.00
23.	झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, झालावाड़	20,804.00	832.00
24.	झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, झुंझुनूं	13,104.77	524.00
25.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	6,03,14,708.46	24,12,587.00
26.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	38,51,087.90	1,54,044.00
27.	पंजाब नेशनल बैंक	10,18,05,024.61	40,72,201.00
28.	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	10,92,64,814.00	43,70,592.00
29.	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	34,26,07,876.06	1,37,04,316.00
30.	आर.वी.एल. बैंक लिमिटेड	56,953.00	2,278.00
31.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	18,49,74,409.79	73,98,979.00
32.	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया	8,65,07,410.59	34,60,296.00
33.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	97,47,284.61	3,89,891.00
34.	सिण्डीकेट बैंक	44,94,813.51	1,79,794.00
35.	दी रत्नाकर बैंक लिमिटेड	44,546.00	1,782.00
36.	यूको बैंक	1,35,15,420.39	5,40,613.00
37	यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया	94,87,575.96	3,79,505.00
38.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया	13,42,624.80	53,704.00

39.	विजया बैंक	11,64,329.81	46,574.00
	कुल योग	**1,43,74,95,171.22**	**5,18,03,814.00**
	कुल योग (करोड़ रुपये में)	**143.74**	**5.18**

स्त्रोतः यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू)

यदि हम तालिका 3 का विश्लेषण करें तो पता लगता है कि सबसे अधिक कृषकों की हिस्सा प्रीमियम राशि राजस्थान स्टेट कॉ–आपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पहुँची है और उसे 1,37,04,316 रुपये बैंक सर्विस चार्जेज के रूप में प्राप्त हुये हैं। इसके बाद प्रदेश में यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड चैन्नई (तमिलनाडू) के द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में कृषकों से प्राप्त हिस्सा प्रीमियम राशि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक इत्यादि से क्रमशः प्राप्त हुई है और इसी प्राथमिकता के क्रम में यू.आई.आई.सी. लिमिटेड चैन्नई (तमिलनाडू) के द्वारा इन्हें बैंक सर्विस चार्जेज दिये गये हैं। बीमा कम्पनी को प्रदेश में सबसे कम कृषकों का प्रीमियम हिस्सा धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर से प्राप्त हुआ है।

एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इन्डिया, न्यू देहली ने राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में 12 जिलों में बीमित कृषकों से उनकी अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए उनका हिस्सा प्रीमियम 79.18 करोड़ रुपये विभिन्न 42 बैंकों के माध्यम से प्राप्त किये है तथा विभिन्न 42 बैंकों को 3.74 करोड़ रुपये बैंक सर्विस चार्जेज के रुप में भुगतान किये है, जैसा कि तालिका 4 में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 4
एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, न्यू देहली
प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ फसल 2016
राजस्थान प्रदेश में विभिन्न बैंकों को बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान

(रकम रूपयों में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम हिस्सा	बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान
1.	इलाहाबाद बैंक	34,02,427.52	1,60,595.10
2.	अलवर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर	1,97,61,018.10	9,32,720.72
3.	आन्ध्रा बैंक	4,59,344.01	21,681.76
4.	ऐक्सिस बैंक	4,80,663.10	22,686.52
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	5,77,07,502.09	27,23,794.08
6.	बैंक ऑफ इन्डिया	63,11,239.10	2,97,889.56
7.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	12,03,330.85	56,797,23
8.	बांसवाड़ा सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लि., बांसवाड़ा	8,57,454.00	40,472.16
9.	बारां सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लि., बारां	1,01,89,252.50	4,80,932.10
10.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक लि., भरतपुर	8,13,85,252.95	38,41,384.12
11.	भरतपुर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लि., भरतपुर	9,615.07	454.60
12.	बीकानेर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लि., बीकानेर	1,53,06,668.75	7,22,474.75
13.	कनारा बैंक	26,88,936.26	1,26,917.45
14.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1,34,65,804.59	6,35,586.18
15.	चित्तौड़गढ़ सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लि., चित्तौड़गढ़	3,08,64,618.26	14,56,810.73
16.	सहकारिता बैंक	27,28,895.32	1,28,803.81
17.	दौसा सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि., दौसा	1,14,10,227.13	5,38,563.09
18.	देना बैंक	15,97,754.62	75,414.18
19.	डूंगरपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि., डूंगरपुर	1,07,06,762.39	5,05,358.50
20.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड	99,05,944.58	4,67,559.78
21.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड	2,82,38,354.62	13,32,850.18
22.	आई.डी.बी.आई. बैंक	39,29,343.18	1,85,465.73
23.	इण्डियन बैंक	43,673.45	2,060.94
24.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	17,47,629.88	82,487.20
25.	इन्डसन्ड बैंक	1,79,886.22	8,491.45
26.	जयपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि., जयपुर	4,35,02,552.44	20,53,320.10
27.	जोधपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि., जोधपुर	5,10,51,038.94	24,09,609.56

28.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	86,28,530.95	4,07,267.24
29.	पाली सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि., पाली	3,68,51,617.70	17,39,396.71
30.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	2,84,206.09	13,414.24
31.	पंजाब नेशनल बैंक	9,24,33,620.66	43,62,866.83
32.	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	4,30,46,769.92	20,31,806,80
33.	आर.वी.एल. बैंक लिमिटेड	18,204.30	860.17
34.	सहकारी भूमि विकास बैंक	8,39,457.93	39,622.32
35.	भारतीय स्टेट बैंक	14,77,86,705.43	69,75,532.22
36.	सिण्डीकेट बैंक	13,73,951.79	64,850.07
37.	टौंक सैन्ट्रल को–आपॅरेटिव बैंक लि., टौंक	1,06,40,073.66	5,02,210.95
38.	यूको बैंक	2,99,73,167.85	14,14,732.71
39.	उदयपुर सैन्ट्रल कॉ–आपरेटिव बैंक लि., उदयपुर	13,75,952.58	64,944.10
40.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	83,47,081.49	3,93,981.26
41.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	1,65,969.07	7,832.76
42.	विजया बैंक	9,75,214.26	46,030.57
	कुल योग	**79,18,75,713.60**	**3,73,76,530.53**
	कुल योग (करोड़ रुपये में)	**79.18**	**3.74**

स्त्रोतः एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, न्यू देहली

तालिका 4 से स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, न्यू देहली ने राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 में बीमित कृषकों से उनकी अनुसूचित फसलों के बीमे के एवज में सबसे अधिक कृषकों की हिस्सा राशि कुल प्रीमियम में भारतीय स्टेट बैंक से 14.77 करोड़ रूपये प्राप्त किये हैं और भारतीय स्टेट बैंक को 4 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेज के रूप में 0.69 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। इसके बाद इस दृष्टि से पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक, ऑफ बड़ौदा, जोधपुर सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोधपुर, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक इत्यादि का स्थान आता है और इसी प्राथमिकता के क्रम में ए.आई.सी. लिमिटेड न्यू देहली के द्वारा बैंकों को बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान किया गया है। बीमा कम्पनी को प्रदेश में सबसे कम कृषकों का प्रीमियम हिस्सा भरतपुर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, भरतपुर से मिला है।

राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 के क्रियान्वयन की सूचनाओं एवं समंकों को एक दृष्टि में तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 5

राजस्थान प्रदेश में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खरीफ फसल 2016 का क्रियान्वयनः एक दृष्टि

क्र.सं.	विवरण	
1.	सम्पूर्ण राजस्थान	33 जिलें
2.	बीमित कृषकों की कुल संख्या	61.71 लाख
3.	बीमित क्षेत्र	74.47 लाख हैक्टेयर
4.	बीमित राशि	9999.98 करोड़ रूपये
5.	दोनों बीमा कम्पनियों को कुल देय प्रीमियम :	1978.90 करोड़ रूपये
	(अ) कृषकों का हिस्सा	222.92 करोड़ रूपये
	(ब) राज्य का अनुदान	877.99 करोड़ रूपये
	(स) केन्द्र का अनुदान	877.99 करोड़ रूपये
6.	लाभान्वित कृषकों की संख्या	0.19 करोड़
7.	कुल दावे की भुगतान राशि	1110.00 करोड़ रूपये
8.	कुल बैंक सर्विस चार्जेज का भुगतान	8.92 करोड़ रूपये

स्त्रोतः 1. कृषि मंत्रालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (तमिलनाडू)
3. एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड, न्यू देहली

निष्कर्ष

माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, पूर्व में चल रही कृषि फसल बीमा योजनाओं पर एक सुधार है। इस योजना को लागू करते समय पहले से चल रही कृषि फसल बीमा योजनाओं की कमियों को दूर किया गया है। धीरे–धीरे इस योजना में देश के सभी किसानों को सम्मिलित करने की बात शामिल है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस योजना को काफी अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया है, इस योजना का ग्रामीण

क्षेत्रों में काफी प्रचार व प्रसार हुआ है जिससे भारतीय कृषक काफी प्रभावित हुए हैं। इस योजना में ऋणी, गैर ऋणी व बटाईदार सभी कृषक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जैसा कि तालिका 5 में दी गयी सूचनाओं एवं समंकों से स्प्ष्ट है कि राजस्थान प्रदेश में खरीफ फसल 2016 में प्रदेश के कृषकों ने काफी रूचि व उत्साह दिखाया है। इस योजना से कृषकों को उनकी खरीफ फसल 2016 नष्ट होने पर काफी अच्छे दावे के भुगतान प्राप्त हुए हैं, साथ ही दोनों बीमा कम्पनियों को भी बहुत लाभ हुआ है इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को यह दिशा–निर्देश दिये हुए हैं कि वे अपनी स्वयं की कृषि बीमा कम्पनियां स्थापित करें, ऐसा करने से राज्य सरकारों के आगम (Revenues) में अच्छी वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *Acharya, S.S. & Agrawal, N.L., Agricultural Marketing in India, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 2017*
2. *Agarwal, A.N., Indian Economy Problems of Development & Planning, Wiley Eastern Limited, New Delhi, 2017*
3. *Agarwal, N.L., भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र, विकास पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, 2016*
4. *Bhat, N.S., Aspect of Rural Banking Common Wealth Publisher House, New Delhi, 2017*
5. *Chauhan, D.S., Agricultural Geography Rawat Publications, Jaipur 2016*
6. *Dingra, Iswar, भारत की आर्थिक समस्यायें,सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2017*
7. *Gupta, S.C. आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इनाश्री पब्लिकेशन्स, जयपुर 2012*
8. *Ray,Devraj,Development Economics, Oxford University Press, New Delhi, 2015*
9. *Ray, S.K., The Indian Economy, Printice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 2016*
10. *Sharma, T.C., Economic Geography of India, Rawat Publications, Jaipur, 2017.*
11. *Talwar & Juneja, Flood Disaster Management, Common Wealth Publisher, Darya Gunj, New Delhi, 2017*

Journals/Periodicals & Magazines

12. *Agricultural Situation in India, New Delhi*
13. *Economic and Political Weekly, Mumbai*
14. *Kurukshetra, New Delhi*
15. *Nabard News Reviews, Mumbai*
16. *Rajasthan Sujas, Jaipur*
17. *The Co-operator, New Delhi*
18. *Yojana, New Delhi*

Encyclopaedias

19. *Chambers Encyclopaedias*
20. *Cowles Volume Library*
21. *Encyclopaedias Americana*
22. *New Universal Encyclopaedias*

Dailies

23. *Indian Express, New Delhi*
24. *The Economic Times, New Delhi*
25. *The Financial Express, New Delhi*

Websites

26. *http://www.rsamb.rajasthan.gov.in*
27. *http://www.agmarketnet.nic.in*
28. *http://www.agricoop.nic.in*